कार्यालय

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)

(कल्याण शाखा)

अल्पकालीन निविदा

दुमका जिलान्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में बर्तन, उपस्कर आपूर्ति हेतु विक्रेताओं से दर निर्धारण हेतु **दिनांक** 08.01.2018 **को 12.00 बजे अपराह्न** तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा जिला कल्याण पदाधिकारी, दुमका के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्य दिवस में प्राप्त किया जायेगा। निविदा **दिनांक** 16.01.2018 **को 03.00 बजे पूर्वाह्न** में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं। निविदा में आपूर्ति की जानेवाली सामग्री, निविदा की शर्तें दुमका जिला के वेबसाईट **www.dumka.nic.in** पर देखा जा सकता है।

उपायुक्त,
दुमका।

निविदा की शर्तें:–

(A) तकनीकी निविदा :–

1. बर्तन, उपस्कर एवं एल0ई0डी0 (टी0वी0) के लिये निविदादाता को निविदा के साथ 1,00,000/– (एक लाख) रूपये का बैंक ड्राप्ट या समकक्ष प्रतिभूति के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी, दुमका के पदनाम से जमा करना होगा।
2. निविदादाता को झारखण्ड राज्य का वाणिज्य कर विभाग का GST निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. आयकर रिटर्न (without any dues payable) वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 का स्वअभिप्रमाणित की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को झारखण्ड राज्य के किसी भी जिला में काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. आपूर्तिकर्ता के पास आपूर्ति की जाने वाली सामानों का अधिकृत विक्रेता संबंधी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
6. सामानों की आपूर्ति की जानी है, जो निम्न है :–

01.बर्तन:–

क्र0	सामग्री का नाम	वजन/साईज/ब्रान्ड
1	थाली (स्टील)	साईज 12" गेज–22 वजन–500 ग्राम दर (प्रति किलो)
2	ग्लास (स्टील)	साईज–6", गेज–22 (प्रति किलो)
3	कटोरा (स्टील)	साईज–4" गेज–22 (प्रति किलो)
4	डेक ढक्कन के साथ (अल्युमिनियम)	वजन 10 किलो (प्रति किलो)
5	हंडा/डेक्ची ढक्कन के साथ (अल्युमिनियम)	वजन 05 किलो (प्रति किलो)
6	बाल्टी (हाथी/टाटा)	साईज–16" प्रति पीस
7	कराही (लोहा) बड़ा	प्रति किलो
8	छोलनी (लोहा) बड़ा	2.5 फीट लम्बा (प्रति किलो)
9	कलछुल (लोहा)	साईज– 2.5 फीट लम्बा (प्रति किलो)
10	कुकर (हॉकिन्स)	20 लीटर एवं 10 लीटर

02. उपस्कर :–

क्र0	सामग्री का नाम	साईज/ब्रान्ड
1	चौकी	6'x3'x22" – Squire Pipe 1¼" पाया, पाया में दो साईड नीचे में Squire pipe Angle 1¼" x 1¼ frame, frame में तीन पट्टी दो सूता एवं प्लायबोर्ड 1' मोटा
2	डुवेल डेस्क (बेंच+डेस्क)	4'x14"x4' लोहे का फेम एवं पारटिकल बोर्ड, मोटाई 18 mm
3	प्लास्टिक कुर्सी (सुप्रीम)	बॉह वाला
4	प्लास्टिक कुर्सी (सुप्रीम)	बिना बॉह वाला
5	डाईनिंग टेबुल (सुप्रीम)	प्लास्टिक
6	स्टडी टेबुल	फोल्डिंग (लोहा पाईप का 3'/2' उपर पारटिकल बोर्ड मोटाई 18 mm)
7	स्टेपलाईजर (छोटा)	सेन एण्ड पंडित
8	स्टेपलाइजर (बड़ा)	सेन एण्ड पंडित 5के0भी0ए0 का
9	रैक	छोटा (लोहा) 36"x18"
10	आलमीरा	आलमीरा बड़ा (78"x34"x18") 22 गेज (लॉकर सहित)
11	पंखा सिलिंग	Usha

(B) वित्तीय निविदा :–

1. निविदादाता को उपरोक्त सामग्रियों का एक ही दर निविदा में अंकित करना होगा एवं एक ही नमूना निविदा समिति के समक्ष लाना अनिवार्य होगा। एक से ज्यादा दर एवं नमूना मान्य नहीं होगा एवं उनका निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

(C) अन्य शर्त्ते :–

1. निविदादाता पहले तकनीकी निविदा संबंधी दस्तावेजों को एक लिफाफे में सीलबन्द करेगें तथा वित्तीय निविदा के लिफाफे को अलग सीलबन्द करेगें। दोनों लिफाफों को पुनः एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबन्द करेगें। प्रत्येक लिफाफे पर उसमें रक्षित कागजातों यथा वित्तीय अथवा तकनीकी निविदा अंकित करेगें।

2. निविदा प्रस्तुती/स्वीकृति के उपरान्त जाली/असत्य दस्वावेज पाये जाने पर अथवा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर स्वीकृत निविदा को कभी भी निरस्त किया जा सकता है तथा निविदा के साथ जमा अग्रधन/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

3. अनुभवी एवं झारखण्ड राज्य के आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. निविदादाता को सामग्री आपूर्ति के पूर्व अग्रिम राशि देय नहीं होगी।

5. निविदा में अंकित दर सभी करों सहित होना अनिवार्य होगा सभी प्रकार के कर जमा करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

6. निविदादाता को सामानों की आपूर्ति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में पहुँचाकर करना होगा। जिसका अलग से कोई परिवहन एवं हाथालन व्यय देय नहीं हेागा।

7. उपरोक्त सामग्रियों की गुणवत्ता एवं परिमाण तथा दर को मद्देनजर रखते हुए निविदा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। निविदादाता को निविदा की शर्तो एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

8. सशर्त निविदा स्वीकार नही किया जायेगा तथा किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

9. विशेष जानकारी के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी, दुमका के कार्यालय से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

उपायुक्त,
दुमका।